SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF JUNE 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 J.M.F.C. Gohad, DIST. BHIND (M.P.)
Case No. 186/17 To The Translation or report madeon
Name and address of the Complanant. 5.21185
1 11 of convect
Rame, parentage, caste and address of accused Ray 37 variables South 32 26 Hid For Remotel
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
अपने दिनांक 23.03.1) को समय लगमग 1:00 बजे, स्थान अग्रिम् विस्टिश अंतर्गत थाना अग्रिट्य में वाहन के चलाया और
इस प्रकार आपन ऐसा कृत्य किया है जी के तहत दण्डनीय अपराध है और इस
न्यायालय के संझान में आता है। क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
Judicial Aggistrat First Cl The plea of the accused and his examination (if any Gohad distr. Bhind (MP.)
अपराध स्वंच्छ्या स्वीकार है।
\mathcal{P}

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

Judicial Magistr Gohad disti B

//निर्णय// (आज दिनांक 23.09.17को घोषित)

चे मोटर व्हीकल एक्ट की	
01. आरोपी को स्वेच्छिक सस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की के तहत	
धारा 146/196 19. V ACT	
के कार्य ने लेक गार्व ला टोमसिट तहराया जाता है।	
वार के पुष्त पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद आनले पर	
के वर्ष के कि के किया में के संस्कृति एवं अपरोध का अव्याप पत	-
किएल मारते हो आयोगि शिक् 8/0 म्याकिश 2/00 MISM 26071	10
को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/136 (1), VAC	
वहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कुमष राशि रूपये	
कुल एक हिला (तम से का (1500/-) के	
अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।	
03. अर्थदण्ड सदाय में व्यतिक्रम की दषा में अभियुक्त को 10 दिवस की	
अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।	
14. जप्तेषुदा सम्पत्ति वाहन क012P3012Kको	
उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate 1995 Class
Online distr. Bhrad M.P.